(अनवान दलीप सिंह बनाम यशनदीप कौर
राजस्व वाद संख्या :– 46 / 2024)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी(राजस्व), श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :– रणजीत कुमार आर.ए.एस.

अनवान :– राजस्व वाद संख्या 46 / 2024

दलीप सिंह पुत्र श्री नन्द सिंह जाति जटसिख निवासी 20 एम एल बी तहसील वा जिला श्रीगंगानगर।

——वादी

बनाम

1. यसनदीप कौर पत्नी देवेन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी 14 एस डी पी. पन्नीवाली तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।
2. जगरूप सिंह पुत्र नन्द सिंह जाति जटसिख निवासी 20 एम एल बी तहसील वा जिला श्रीगंगानगर
3. जसवीर. कौर पत्नी नत्थासिंह जाति जटसिख निवासी 20 एम एल बी तहसील वा जिला श्रीगंगानगर
4. नत्था सिंह पुत्र बलविन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी 20 एम एल । बी तहसील वा जिला श्रीगंगानगर।
5. त्रिभुवन पुत्र सोहन लाल जाति नाई निवासी 20 एम एल बी तहसील वा जिला श्रीगंगानगर
6. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर।
7. बैंक ऑफ इण्डिया शाखा साहूवाला जरिए प्रबन्धक
8. राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा लाधूवाला जरिए प्रबन्धक

—— प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 92ए, 88, 188 राज. काश्तकारी अधिनियम

–:: उपस्थित अभिभाषकगण ::–

1. श्री बलराम सुथार — वादी
2. श्री राकेश कुमार — प्रतिवादी संख्या 1 ता 5
3. पैरोकार राज श्रीगंगानगर — प्रतिवादी संख्या 6

प्रतिवादी संख्या 7, 8 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

–:: निर्णय ::–.

दिनांक :– 15.10.2024

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार से है कि वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 के नाम चक 20 एस एल बी पटवार हल्का लाधूवाला तहसील श्रीगंगानगर के खाता संख्या 63/43 के मुरब्बा नं0 18 की 1.118 हैक्टेयर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व), श्रीगंगानगर

Scanned with CamScanner

बारानी कृषि भूमि मय खाल दर्ज रिकॉर्ड है व इसी चक के खाता संख्या 62 / 17 के मुरब्बा नं0 38 की 0.506 हैक्टेयर कृषि भूमि वादी व प्रतिवादी संख्या 2 के नाम दर्ज रिकॉर्ड है व इसी चक के खाता संख्या 61 / 63. के मुरब्बा नं0 23 के किला नं0 1, 10, 11, 20, 21 की 1.265 हैक्टेयर व मुरब्बा नं0 35 के किला नं० 13 / 3, 13 / 4, 13 / 5 व किला नं0 18 की 0. 253 हैक्टेयर कृषि भूमि वादी व प्रतिवादी संख्या 1, 2 व 4 के नाम संयुक्त खाता में दर्ज है व प्रतिवादी संख्या 5 द्वारा वादी से जरिए बैयनामा खरीदशुद्धा कृषि भूमि 0.126 हैक्टेयर बारानी मय खाल जिसके बैयनामा की फोटोप्रति संलग्न वाद पत्र है एवं जमाबंदी की प्रमाणित प्रतिलिपि शामिल वाद पत्र है। वादी व प्रतिवादीगण द्वारा समझौता बंटवारा कर अपने अपने हिस्से की भूमि का किलावाईज बंटवारा कर लिया और वादी व प्रतिवादीगण को उनके हिस्से में निम्न प्रकार से भूमि प्राप्त हुई जो कि इस प्रकार से है :–

वादी के हिस्से में आयी कृषि भूमि चक 20 एम एल बी के खाता संख्या 61 / 63 के मुरब्बा नं० 23 के किला नम्बर 1 व 10 की 0.506 हैक्टेयर व किला नं0 11 की 0.181 हैक्टेयर उत्तर दिशा में व इसी चक के खाता संख्या 63 / 43 के मुरब्बा नं0 18 के किला नं० 21 / 2 में 0.044 है0 पश्चिम दिशा में और दोनों खातों में कुल 0.731 हैक्टेयर कृषि भूमि प्राप्त हुई है। इसी अनुसार वादी का कब्ज़ा काश्त चला आ रहा है। प्रतिवादी संख्या 1 के हिस्से में आयी कृषि भूमि चक 20 एम एल बी के खाता संख्या 63 / 43 के मुरब्बा नं0 18 के किला नं० 23 में 0.089 हैक्टेयर पूर्व दिशा में किला नं० 24 में 0.227 हैक्टेयर किला नं0 25 / 1 में 0.202 हैक्टेयर व किला नं0 25 / 2 में 0.025 हैक्टेयर कुल 0.543 हैक्टेयर कृषि भूमि प्राप्त हुई है। इसी अनुसार प्रतिवादी संख्या 1 के पास कब्जा काश्त में चली आ रही है। प्रतिवादी संख्या 2 को प्राप्त कृषि भूमि चक 20 एम एल बी के खाता संख्या 62 / 17 के मुरब्बा नं0 38 के किला नं० 1 / 1 में 0.228 हैक्टेयर व 1 / 2 में 0.025 हैक्टेयर किला नं0 10 सालम कुल 0.506 हैक्टेयर व इसी चक के खाता संख्या 61 / 63 के मुरब्बा नं० 23 के किला नं० 20, 21 सालम व किला नं0 11 में 0.072 हैक्टेयर दक्षिणी दिशा में व इसी चक के खाता संख्या 63 / 43 के मुरब्बा नं० 18 के किला नं0 21 / 2 में 0.164 हैक्टेयर पूर्वी दिशा में कुल 1.248 हैक्टेयर नहरी बारानी कृषि भूमि प्राप्त हुई व घरू बंटवारा अनुसार प्रतिवादी संख्या 2 के कब्जाकाश्त में चली आ रही है। प्रतिवादी संख्या 3 व 4 के हिस्से में आयी कृषि भूमि चक 20 एम एल बी के खाता संख्या 63 / 43 के मुरब्बा नं0 18 के किला नं0 22 में 0.114 हैक्टेयर पूर्व दिशा में ओर किला नं0 23 की 0.139 हैक्टेयर पश्चिम दिशा में व इसी चक के खाता संख्या 61 / 63 के मुरब्बा नं0 35 के किला नं0 13 / 3 में 0.072 हैक्टेयर बारानी किला नं0 13 / 4 में 0.029 हैक्टेयर व किला नं0 13 / 5 में 0.089 हैक्टेयर बारानी व किला नं0 18 में 0.253 हैक्टेयर बारानी कृषि भूमि प्राप्त हुई। जिसमें प्रतिवादी संख्या 3 के पास 0.253 हैक्टेयर व प्रतिवादी संख्या 4 के पास 0.443 हैक्टेयर दोनों की कुल 0.896 हैक्टेयर कृषि भूमि प्राप्त हुई। और इस बंटवारा अनुसार प्रतिवादी संख्या 3 व 4 का कब्जा काश्त चला आ रहा है। प्रतिवादी संख्या 5 के हिस्से में आयी कृषि भूमि चक 20 एम एल बी के खाता संख्या 63 / 43 के मुरब्बा नं0 18 के किला नं० 22 में 0. 114 हैक्टेयर पश्चिम दिशा में प्राप्त हुई है और इसी अनुसार कब्जा काश्त चला आ

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with CamScanner

रहा है। वादी व प्रतिवादीगण के मध्य हुए पारिवारिक घरू बंटवारा अनुसार अपने अपने हिस्से की भूमि का किलावाईज बंटवारा किया गया उसी अनुसार अपने अपने हिस्से की कृषि भूमि पर कब्जा काश्त कर रहें है परन्तु खाता मुस्तरका होने के कारण वादी द्वारा प्रतिवादीगण को खाता तकसीम करवाने के लिए कहा गया तो प्रतिवादीगण द्वारा हर बार टालमटोल की जाती रही। और उक्त खाता संयुक्त खाता में दर्ज होने के कारण वादी को सरकार द्वारा दी जा रही सुविधाओं से वंचित होना पड़ रहा है व सभी खातेदारों की सहमति के लिए भटकना पड़ता है इसीलिए खाता तकसीम करवाना अनिवार्य हो गया है। वादी द्वारा दिनांक 25.02.2024 को प्रतिवादीगण से आग्रह किया गया कि अपने बंटवारे अनुसार अपने अपने हिस्से की कृषि भूमि का किलावाईज विभाजन करवाकर खाता तकसीम करवा लेवें तो प्रतिवादीगण द्वारा स्पष्ट इंकार कर दिया गया। यही मुखासमत वाद कारण है। इसलिए दावा हाजा लाना आवश्यक हो गया। दावा श्री मान न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार में अन्दर अवधि व उचित न्यायशुल्क पर पेश है । प्रतिवादी संख्या 6 लैण्ड होल्डर होने के कारण उसे वाद में पक्षकार बनाया गया है व प्रतिवादी संख्या 7 व 8 के पास रकबा रहन होने के कारण उन्हें पक्षकार बनाया गया है। लिहाजा वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादी व प्रतिवादीगण के मध्य हुए कृषि भूमि का पारिवारिक घरू बंटवारा अनुसार वादी के हिस्से में आयी कृषि भूमि का किलावाईज बंटवारा कर खाता तकसीम किया जावे व वाद वादी निम्न प्रकार से डिकी फरमाया जावे :–

(क) यह कि डिकी इस आश्य की सादिर फरमाय जावे कि चक 20 एम एल बी पटवार हल्का लाधूवाला के खाता संख्या 63/43 के मुरब्बा नं0 18 की 1.118 हैक्टेयर कृषि भूमि व इसी चक के खाता संख्या 62/17 के मुरब्बा नं0 38 की 0.506 हैक्टेयर व इसी चक के खाता संख्या 61/63 के मुरब्बा नं0 23 व मुरब्बा नं0 35 की 1.708 हैक्टेयर में से घरू बंटवारा अनुसार वादी के हिस्से में आयी कृषि भूमि चक 20 एम एल बी के खाता संख्या 61/63 के मुरब्बा नं0 23 के किला नम्बर 1 व 10 की 0.506 हैक्टेयर व किला नं0 11 की 0.181 हैक्टेयर उत्तर दिशा में व इसी चक के खाता संख्या 63/43 के मुरब्बा नं0 18 के किला नं0 21/2 में 0.044 है0 पश्चिम दिशा में और दोनों खातों में कुल 0.731 हैक्टेयर कृषि भूमि व इसी अनुसार वादी का कब्जा काश्त चला आ रहा है का किला वाईज बंटवारा कर खाता तकसीम किया जावे व अलग–अलग लगान कायम करने के आदेश फरमावें जावे :–

(ख) यह कि खर्चा मुकदमा दिलाया जावे।

(ग) यह कि अन्य कोई अनुतोष जो न्यायालय वादी के हक में प्रतीत हो दिलवाया जावे।

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 द्वारा इकबालिया जवाब दावा मय काउंटरक्लेन पेश किया गया जिसमें अंकित तथ्यानुसार लिहाजा जवाब वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादी का वाद स्वीकार किया जाता है तो हम प्रतिवादीगण को कोई आपति नहीं है परन्तु वादी के वाद के साथ साथ हम प्रतिवादीगण का काऊन्टर क्लेम भी स्वीकार किया जावे जो कि निम्न प्रकार है :–

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

प्रतिवादीगण संख्या–1 से 5 की तरफ से काऊन्टर क्लेम :–

यह कि प्रतिवादी संख्या–1 के हिस्सा में आयी कृषि भूमि चक 20 एमएल 'बी' खाता संख्या– 63/43 के मुरब्बा नम्बर–18 के किला नम्बर–23 में 0.089 हैक्टेयर पूर्व दिशा में किला नम्बर–24 में 0.227 हैक्टेयर किला नम्बर– 25/1 में 0.202 हैक्टेयर एवं किला नम्बर– 25 / 2 में 0.025 हैक्टेयर कुल 0.543 हैक्टेयर कृषि भूमि प्राप्त हुई है। इसी अनुसार प्रतिवादी संख्या–1 के पास कब्जा काश्त में चली आ रही है। प्रतिवादी संख्या–2 को प्राप्त कृषि भूमि चक 20 एमएल बी' खाता संख्या– 62/17 के मुरब्बा नम्बर–38 के किला नम्बर– 1/1 में 0.228 हैक्टेयर व 1/2 में 0.025 है, किला नम्बर–10 सालम कुल 0.506 हैक्टेयर एवं इसी चक के खाता संख्या–61/63 के मुरब्बा नम्बर–23 के किला नम्बर– 20, 21 सालम व किला नम्बर–11 में 0.072 हैक्टेयर दक्षिणी हिस्सा में व इसी चक के खाता संख्या–63/43 के मुरब्बा नम्बर–18 के किला नम्बर–21/2 में 0.164 हैक्टेयर पूर्वी दिशा में कुल 1.248 हैक्टेयर नहरी बारानी कृषि भूमि प्राप्त हुई व घरू बंटवारा अनुसार प्रतिवादी संख्या–2 के पास कब्जा काश्त में चली आ रही है। प्रतिवादी संख्या–3 व 4 के हिस्सा में आयी कृषि भूमि चक 20 एमएल 'बी' खाता संख्या – 63/43 के मुरब्बा नम्बर–18 के किला नम्बर–22 में 0.114 है. पूर्व दिशा में और किला नम्बर–23 में 0.139 हैक्टेयर पश्चिम दिशा में एवं इसी चक के खाता संख्या–61/63 के मुरब्बा नम्बर – 36 के किला नम्बर–13/3 में 0.072 हैक्टेयर बारानी किला नम्बर– 13/4 में 0.029 हैक्टेयर व किला नम्बर– 13/5 में 0.089 हैक्टेयर बारानी व किला नम्बर–18 में 0.253 हैक्टेयर बारानी कृषि भूमि प्राप्त हुई। जिसमें प्रतिवादी संख्या– 3 के पास 0. 253 हैक्टेयर एवं प्रतिवादी संख्या–4 के पास 0.443 हैक्टेयर दोनो की कुल 0.696 हैक्टेयर कृषि भूमि प्राप्त हुई और इस बंटवारा अनुसार प्रतिवादी संख्या– 3 व 4 के पास कब्जा काश्त में चली आ रही है। प्रतिवादी संख्या– 5 के हिस्सा में आयी कृषि भूमि वाका चक 20 एमएल 'बी' के खाता संख्या–63/43 के मुरब्बा नम्बर–18 के किला नम्बर–22 में 0.114 हैक्टेयर पश्चिम दिशा में प्राप्त हुई है और इसी अनुसार कब्जा काश्त चला आ रहा है। अतः वादी के वाद पत्र के साथ–साथ हम प्रतिवादीगण का काऊन्टर क्लेम भी स्वीकार किया जावे और काऊन्टर क्लेम के अनुसार हम प्रतिवादीगण को बंटवारे अनुसार खातेदार घोषित कर किलावाईज विभाजन कर खाता तकसीम किया जावे तथा अलग–अलग लगान कायम किया जावे।

प्रतिवादी संख्या 7 व 8 की विधिवत तामील होने एवम् प्रतिवादीगण के न्यायालय में उपस्थित नहीं होने पर प्रतिवादी संख्या 7, 8 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

पैरोकार राज तहसीलदार श्रीगंगानगर की ओर से स्टेट जवाब पेश हुआ।

वकील वादीगण की बहस सुनी गई। वकील वादी द्वारा दोराने बहस निवेदन किया गया कि प्रकरण में प्रतिवदीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही हो चुकी है। वादी द्वारा प्रकरण खाता विभाजन का प्रस्तुत किया गया है। प्रकरण में वादग्रस्त आराजी का तहसीलदार श्रीगंगानगर से प्रस्ताव मंगवाया जावे। पत्रावली पर प्रस्तुत

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with CamScanner

अभिलेखीय दस्तावेजात एवं तहसील व जिला श्रीगंगानगर की जमाबंदी सम्वत 2070—2073 चक 20 एमएल बी, पटवार हल्का लाधुवाला, भू.अ.नि.क्षेत्र. गणेशगढ़, खाता संख्या 62 / 17, जमाबंदी सम्वत 2070—2073 चक 20 एमएल बी, पटवार हल्का लाधुवाला, भू.अ.नि.क्षेत्र. गणेशगढ़, खाता संख्या 61 / 63 एवम् पंजीकृत दस्तावेज बैयनामा दिनांक 08.08.2023 दलीप सिंह बहक त्रिभवन परिहार का अवलोकन किया गया। उक्त दस्तावेजात एवम् जमाबंदी के अवलोकन से वादग्रस्त आराजी स्युक्त खाता की आराजी है एवम् वादी एवम् काउंटरक्लेम प्रस्तुतकर्ता प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 अपने हिस्सा की भूमि का विभाजन करवाने के अधिकारी हैं। अतः न्यायालय वाद वादी एवम् काउंटरक्लेम प्रस्तुतकर्ता प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 प्राथमिक रूप से स्वीकार योग्य पाता है।

|| आदेश ||

अतः वाद वादी एवम् काउंटरक्लेम प्रस्तुतकर्ता प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 प्राथमिक रूप से स्वीकार किया जाकर तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर को आदेश दिया जाता है कि माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के आदेश कमांक—रा.म. / न्याय / स्था. / प—51 / 2008 / विविध / 10546 दिनांक 05.10.2020 के प्रावधानों एवं राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 से 21 की पालना करते हुए तहसील व जिला श्रीगंगानगर की जमाबंदी सम्वत 2070—2073 चक 20 एमएल बी, पटवार हल्का लाधुवाला, भू.अ.नि.क्षेत्र. गणेशगढ़, खाता संख्या 63 / 43 जमाबंदी सम्वत 2070—2073 चक 20 एमएल बी, पटवार हल्का लाधुवाला, भू.अ.नि. क्षेत्र. गणेशगढ़, खाता संख्या 62 / 17, जमाबंदी सम्वत 2070—2073 चक 20 एमएल बी, पटवार हल्का लाधुवाला, भू.अ.नि.क्षेत्र. गणेशगढ़, खाता संख्या 61 / 63 में वर्णित कृषि भूमि का वादी एवम् काउंटरक्लेम प्रस्तुतकर्ता प्रतिवादीगण की भूमि का हिस्सा एवं कब्जा अनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार कर आगामी तारीख पेशी 25.10.2024 से पूर्व पेश करे। वाद व्यय पक्षकरान अपना अपना वहन करेंगे। यथा प्राथमिक डिक्री जारी हो। निर्णय की एक प्रति तहसीलदार(राजस्व), श्रीगंगानगर को नियमानुसार विभाजन प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु प्रेषित हो।

प्राथमिक निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया जाकर मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से आज दिनांक 15.10.2024 को जारी किया गया।

(रणजीत कुमार)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with CamScanner